



(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र)

फरवरी-मार्च, 2022 की कार्यसूची

(खण्ड-03)

दिनांक-10 मार्च, 2022

माँग संख्या - 21

आय-व्ययक शीर्षक - शिक्षा विभाग

57. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "शिक्षा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **391,91,87,09,000/-** (तीन सौ इक्यावनवे अरब इक्यावनवे करोड़ सत्तासी लाख नौ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
58. श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-02, लघु शीर्ष-192, उप शीर्ष-0001 के लिए 2,19,23,53,000/- रूपये की माँग 1,00,00,000/- रूपये से घटाई जाय।
मितव्यथिता पर विचार-विमर्श करने के लिए।
- 59-67. श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अखतररूल ईमान, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री छत्रपति यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 31

आय-व्ययक शीर्षक - संसदीय कार्य विभाग

68. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "संसदीय कार्य विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **9,27,82,000/-** (नौ करोड़ सत्ताईस लाख बयासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 69-70. श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की संसदीय कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 43

आय-व्ययक शीर्षक - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

71. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **5,93,64,90,000/-** (पाँच अरब तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख नब्बे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 72-75. श्री ललित कुमार यादव, श्री अजय यादव, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 25

आय-व्ययक शीर्षक - सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

76. प्रभारी मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2,31,82,60,000/- (दो अरब इकतीस करोड़ बयासी लाख साठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

77-80. श्री ललित कुमार यादव, डॉ० रामानुज प्रसाद, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सूचना एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 26

आय-व्ययक शीर्षक - श्रम संसाधन विभाग

81. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "श्रम संसाधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 9,47,29,94,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ उनतीस लाख चौरानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

82-86. श्री ललित कुमार यादव, श्री विजय शंकर दूबे, डॉ० रामानुज प्रसाद, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

शैलेन्द्र सिंह

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

"कंटौटी प्रस्तोते की स्वीकृति को निर्णय संदेन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कियो जायेगा।"

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०२/२०२२- १२१५ /विंस०, पटना, दिनांक- ०९ मार्च, २०२२ ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.2022
(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०२/२०२२- १२१५ /विंस०, पटना, दिनांक- ०९ मार्च, २०२२ ई०।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रधान आप सचिव, सचिवीय कार्यालय / प्रधान आप सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9.3.2022
(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०२/२०२२- १२१५ /विंस०, पटना, दिनांक- ०९ मार्च, २०२२ ई०।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पांच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.2022
(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।